सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर—272202 उ0प्र0 (भारत)
Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

पत्रांक—067 / कु0स0का0 / सि0वि0वि0 / 2025 दिनांक—29—10—2025

सेवामें,

1. **डॉ0 सुनीता त्रिपाठी, नोडल अधिकारी, मिशन शक्ति, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय (परिसर) कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।**
2. **समस्त प्राचार्य / प्राचार्या, राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।**

विषय :— **प्रदेश में महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, सम्मान तथा स्वावलम्बन हेतु आगामी शारदीय नवरात्र के पर्व पर दिनांक 22 सितम्बर, 2025 से 90 दिवसीय "मिशन शक्ति" के विशेष अभियान के पॉचवे चरण के शुभारंभ के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग—1, लखनऊ के पत्र संख्या—1733 / सत्तर—1—2025 दिनांक 28—10—2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। (छाया प्रति संलग्न)

अतः उपरोक्त के क्रम में संलग्न पत्र के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक— यथोपरि।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक— / तददिनांकित।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सि0ार्थनगर।
2. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

<u>संख्या-1733/सत्तर-1-2025</u>

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
उच्च शिक्षा,
प्रयागराज, उ0प्र0।

2- कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

3- कुलसचिव,
समस्त निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 28 अक्टूबर, 2025

विषय- प्रदेश में महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, सम्मान तथा स्वावलम्बन हेतु आगामी शारदीय नवरात्र के पर्व पर दिनांक 22 सितम्बर, 2025 से 90 दिवसीय "मिशन शक्ति" विशेष अभियान के पाँचवें चरण के शुभारंभ के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-620/छः-पु0-15/2025, दिनांक 19.09.2025 तथा प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-ई3635668/60-3-2025-सी-1973605 दिनांक 22-09-2025 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्रों की गयी अपेक्षानुसार प्रश्नगत प्रकरण में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,

Digitally signed by
GIRIJESH KUMAR TYAGI
Date: 27-10-2025
17:28:43

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव

संख्या 1733/शास-1-2025

महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-ई-3635668/60-3-2025-सी-1973605

प्रेषक,

लीना जौहरी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या 2025/VIPPSHED/2025
दिनांक 27.09.2025

सेवा में,

1. समस्त मंडलायुक्त,
उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।
3. समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उ0प्र0।

महिला कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 22 सितम्बर, 2025

विषय-प्रदेश में महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, सम्मान तथा स्वावलम्बन हेतु आगामी शारदीय नवरात्र के पर्व पर दिनांक 22 सितम्बर, 2025 से 90 दिवसीय "मिशन शक्ति" विशेष अभियान के पॉचवें चरण के शुभारंभ के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-620/छः-पु0-15/2025, दिनांक 19.09.2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश में महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, सम्मान तथा स्वावलम्बन हेतु आगामी शारदीय नवरात्र के पर्व पर दिनांक 22 सितम्बर, 2025 से 90 दिवसीय "मिशन शक्ति" विशेष अभियान के पॉचवें चरण के शुरू किये जाने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुये हैं, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संलग्न कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(एम0पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

2- महिलाओं व बच्चों को विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार तथा उनसे संबंधित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार व जनजागरूकता, ब्लॉक/ग्राम स्तर तक जन-मानस के मध्य किया जायेगा।

3- विभाग की समस्त इकाईयों यथा महिला/बाल देखरेख संस्थाओं, वन स्टॉप केन्द्र, जिला बाल संरक्षण इकाई, हब फॉर वूमेन इम्पॉवरमेन्ट, चाइल्ड हेल्पलाइन सहित ग्राम स्तर पर ऑगनवाड़ी कार्यकत्रियों, निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार गतिविधियों का आयोजन करेंगी।

4- जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा यह विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा कि अभियान के दौरान पीड़ित महिलाओं व बच्चों से प्राप्त समस्त प्रकरणों/कॉल पर त्वरित रूप से कार्यवाही की जायेगी और प्रत्येक कॉल का विवरण दर्ज करते हुये कृत कार्यवाही का फॉलो-अप किया जायेगा।

5- कार्यक्रमों में जन-प्रतिनिधियों, क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों, को आमंत्रित किया जायेगा तथा स्थानीय चैनलों, रेडियो कार्यक्रमों, तथा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

6- समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रतिदिन की रिपोर्ट जनपद स्तर पर संकलित कर पूर्व विकसित "शक्ति वॉर रूम" के माध्यम से महिला कल्याण निदेशालय को निर्धारित रिपोर्टिंग प्रारूप/स्प्रेडशीट (पूर्व से प्रेषित) पर प्रतिदिन सायं 8 बजे तक अपडेट की जायेगी।

7- अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीया,

(लीना जौहरी)
प्रमुख सचिव।

Digitally signed by
LEENA JOHRI
Date: 22-09-2025
18:14:24

संख्या-ई-3635668 (1)/60-3-2025-सी-1973605 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, सूचना विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, युवा कल्याण एवं खेलकूद विभाग, राजस्व विभाग, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन।

3. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0।

4. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।

5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी।

6. श्रीमती आकांक्षा अग्रवाल, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/नोडल अधिकारी, मिशन शक्ति, महिला कल्याण, उ0प्र0।

7. श्री नीरज मिश्रा, राज्य सलाहकार, बाल संरक्षण/सह-नोडल अधिकारी, मिशन शक्ति महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0।

8. समस्त मंडलीय उप-निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0।

9. समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0।

10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by PREM PRAKASH SINGH
Date: 22-09-2025 18:17:18

(प्रेम प्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव।

संलग्नक – "मिशन शक्ति" विशेष अभियान फेज़ – 5.0 के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आगामी मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत दिनांक 22 सितम्बर, 2025 से 24 दिसम्बर, 2025 तक निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की जायेंगीः

दिनांक	गतिविधियों का विवरण	स्तर
	शरदीय नवरात्र (22 से 30 सितम्बर, 2025)	
22 सितम्बर, 2025	मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुपालन में शुभारंभ कार्यक्रमः मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशों/मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त जनपदों में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जायेगा।	जनपद स्तर
23 सितम्बर, 2025	साइकलोथॉन (मेगा इवेन्ट): • जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, जनपद के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारी एवं ग्राम स्तर ग्राम प्रधान के नेतृत्व में साइकलोथॉन का आयोजन किया जायेगा। • साइकलोथॉन में सभी वर्ग की महिलायें, बच्चे एवं पुरूष शामिल होंगे यद्यपि प्रथम पंक्ति में महिलाओं तथा बालिकाओं द्वारा साइकलोथॉन को लीड किया जायेगा। • इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों संबंधी राज्य/जनपद स्तरीय संकेतकों यथा जनसंख्या अनुपात, जन्म/मृत्यु दर, लिंगानुपात, स्कूल ड्रॉपआउट, बाल विवाह, लैंगिक शोषण, संस्थागत प्रसव, साक्षरता दर तथा महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाली हिंसा, तथा विभागीय योजनाओं आदि को समाज के समक्ष रखते हुये उनके सुधार हेतु जन–जागरूकता करना है। • हैशटैग – #Cyclothon #ForEveryChild #ForEveryWomen #MissionShakti प्रयोग करें।	ग्राम/ब्लॉक/जनपद स्तर
24 सितम्बर, 2025	सार्वजनिक स्थलों पर जन–जागरूकताः • नवरात्र के अवसर पर होने वाले आयोजनों/बाजारों में मोबाइल वैन, कैनोपी, स्टॉल स्थापित करते हुये महिलाओं और बच्चों के अधिकारों व मुद्दों पर जागरूकता की जायेगी। • कार्यक्रम के दौरान महिलाओं से संबंध में संचालित योजनाओं यथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेन्टर, 181 महिला	ग्राम/ब्लॉक/जनपद स्तर

	हेल्पलाइन, पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला योजना, प्रदेश में स्थापित महिला शरणालय, शक्ति सदन व सखी निवास योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जायेगा। ● साथ ही महिलाओं व बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करने वाले प्रमुख कानूनों यथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष), अधिनियम, 2013, दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (संशांधित 1986) तथा गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के प्रमुख प्रावधानों के बारे में आमजन को जागरूक किया जायेगा। ● हैशटैग – #Women&ChildrenFirst प्रयोग करें।	
25 सितम्बर, 2025	सोशल मीडिया कैम्पेनः ● कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों संबंधी राज्य/जनपद स्तरीय संकेतकों यथा जनसंख्या अनुपात, जन्म/मृत्यु दर, लिंगानुपात, स्कूल ड्रॉपआउट, बाल विवाह, लैंगिक शोषण, संस्थागत प्रसव, साक्षरता दर तथा महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाली हिंसा, आदि को समाज के समक्ष रखते हुये उनके सुधार हेतु सोशल मीडिया के माध्यम से जन–जागरूकता करना है। ● हैशटैग – #SayNoToViolence #SayYesToEducation #SayYesToEmpowerment प्रयोग करें।	सोशल मीडिया स्तर
27 सितम्बर, 2025	नुक्कड़ नाटकः ● लैंगिक समानता विषय पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन। ● हैशटैग – #GenderEquality प्रयोग करें।	ग्राम/ब्लॉक स्तर
30 सितम्बर, /01 अक्टूबर, 2025	कन्या–पूजन (मेगा इवेन्ट): ● समाज में बालिकाओं के जन्म के प्रति सोच में सकारात्मक बदलाव के उद्देश्य से अष्टमी/नवमी के अवसर पर प्रत्येक ब्लॉक में जिलाधिकारी/जनप्रतिनिधियों/प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में कन्या पूजन व उनके लिये प्रसाद ग्रहण का भव्य आयोजन किया जायेगा। ● कार्यक्रम को बालिकाओं के लिये लाभप्रद बनाने हेतु आयोजन स्थल पर विशेष काउन्टर विकसित किया जायेगा जहाँ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लाभार्थी बालिकाओं में से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु पात्र बालिकाओं के फार्म भरवाये जायेंगें, जिससे जमीनी स्तर पर बालिकाओं	ब्लॉक स्तर

	की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु सार्थक कदम उठाये जा सकें। • हैशटैग —#KanyaPuJan #EducationForAll #ForEveryChild #ForEveryWomen #MissionShakti प्रयोग करें।	
	अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस समारोह (03 से 11 अक्टूबर, 2025)	
03 अक्टूबर, 2025	ड्राइविंग मॉय ड्रीम्स (मेगा इवेन्ट): • जनपद प्रशासन द्वारा प्रशिक्षकों (यथासंभव महिला प्रशिक्षक) को चिन्हित किया जायेगा जिनके माध्यम से वयस्क महिलाओं और बालिकाओं को प्रेरित करते हुये न्यूनतम 1 माह (आवश्यकतानुसार अवधि बढ़ाई जा सकती है) का ड्राइविंग कोर्स कराया जायेगा। प्रत्येक जनपद द्वारा कम से कम 100 महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रशिक्षित करते हुये उनके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाये जाने का लक्ष्य होगा। • दूरस्थ क्षेत्रों की बालिकाओं व महिलाओं का चयन सुनियोजित प्रक्रिया के माध्यम और प्राथमिकता पर किया जाये। • यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 03/10/2025 से शुरू किया जायेगा। • इस कार्यक्रम के माध्यम से न सिर्फ महिलाओं व बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा, उन्हें यातायात हेतु पुरूषों पर निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि उनमें नवीन जीवन कौशल का विकास होगा। • हैशटैग — #DrivingMyDreams #MySkill #IGCD2025 #MissionShakti प्रयोग करें।	ग्राम/जनपद स्तर
04 अक्टूबर, 2025	पर्सनल सेफ्टी अवेयरनेस: • वार्ड/ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण विषयों पर महिलाओं और बच्चों को जागरूक किया जायेगा। • विद्यालयों में भी उक्त विषय पर विशेष रूप से न्यूनतम 3 सत्रों का आयोजन किया जायेगा। • कोई महिला या बच्चा विभिन्न नकारात्मक परिस्थितियों में अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा कैसे करें? इस पर विषय–विशेषज्ञों के माध्यम से सत्रों का आयोजन किया जायेगा। • हैशटैग — #IGCD2025 #Women&ChildrenFirst #PersonalSafety प्रयोग करें।	ग्राम/ब्लॉक/वार्ड स्तर

06 अक्टूबर, 2025	सेल्फ डिफेन्स कार्यशाला: • समस्त बाल देखरेख संस्थाओं में सेल्फ डिफेन्स कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। • हैशटैग — #IGDC2025 #SelfDefence प्रयोग करें।	बाल देखरेख संस्था स्तर
07 अक्टूबर, 2025	एक दिन की जिलाधिकारी (बालिकाओं तथा महिलाओं द्वारा सांकेतिक भूमिका निर्वहन कार्यक्रम (मेगा इवेन्ट): • जनपद स्तर पर महिलाओं व मेधावी बालिकाओं को एक दिन की सांकेतिक "जिलाधिकारी" नियुक्त किया जाय। • कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं व बालिकाओं को इन पदों पर कार्यरत होकर कैसे पदगत दायित्वों का निर्वहन किया जाता है इसकी जानकारी मिलेगी व जिसके फलस्वरूप उन्हें संवैधानिक व प्रशासनिक पदों पर पहुँचने की प्रेरणा मिलेगी। • हैशटैग — #IGCD2025 #Nayika प्रयोग करें।	जनपद स्तर
08 अक्टूबर, 2025	कन्या जन्मोत्सव: • ब्लॉक स्तर पर किसी भी राजकीय अस्पताल/सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 में जन्म लेने वाली बालिकाओं के जन्मोत्सव का आयोजन तथा माँ–बेटी को उपहार वितरण किया जायेगा। • जनपद में जन्म लेने वाली बालिकाओं की संख्या के बराबर वृक्षारोपण कर बालकों तथा पुरूषों को उन वृक्षों के संरक्षण का दायित्व सौंपा जायेगा। • हैशटैग #IGCD2025 #KanyaJanmotsav #MissionShakti का प्रयोग करें।	ब्लॉक स्तर
09 अक्टूबर, 2025	बाल विवाह को न – चैम्पियन्स का सम्मान: • रोके गये बाल विवाहों में शामिल बालिकाओं का सम्मान एवं उनके सामने आई चुनौतियों पर चर्चा–परिचर्चा। • हैशटैग — #IGCD2025 #EndingChildMarriage #ChildMarriageChampion प्रयोग करें।	जनपद स्तर
10 अक्टूबर, 2025	व्यक्तिगत स्वच्छता संवाद: • महिला/बाल देखरेख संस्थाओं में संवासियों की व्यक्तिगत स्वच्छता (Personal/Menstrual Hygiene) हेतु विषय–विशेषज्ञों के माध्यम से जागरूकता संवाद का आयोजन किया जायेगा। • संवाद के दौरान उनको विशेष रूप से सेनेटरी पैड के	महिला/बाल देखरेख संस्था स्तर

	सुरक्षित निस्तारण पर जागरूक किया जायेगा। • हैशटैग – #IGDC2025 #MyPersonalSafety #ShaktiSamwad प्रयोग करें।	
11 अक्टूबर, 2025	शक्ति संवादः • प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड व सामान्य, स्पॉन्सरशिप योजना तथा पति की मृत्युपरांत महिला पेंशन के लाभार्थी बच्चों व महिलाओं का जिलाधिकारी तथा जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाय। • कार्यक्रम में बच्चों व महिलाओं की चुनौतियॉं और उनके समाधानों पर विचार–विर्मश किया जाये व आवश्यकतानुसार उन्हें आवश्यक सहायतायें सुनिश्चित की जाय। • हैशटैग – #IGCD2025 #ShaktiSamwad प्रयोग करें।	ब्लॉक / जनपद स्तर
15/16 अक्टूबर, 2025	पार्टनर्स फॉर इम्पॉवरमेन्ट ऑफ वूमेन एण्ड चिल्ड्रेनः • निदेशालय स्तर से समस्त जनपदों द्वारा वन स्टॉप केन्द्र, चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल कल्याण समिति तथा बाल देखरेख संस्थाओं के संपर्क में आने वाले बच्चों तथा महिलाओं की शिक्षा, खेलकूद, परामर्श, कौशल विकास, वैयक्तिक विकास आदि के संबंध में स्थानीय विश्वविद्यालय/कालेज के साथ डिजिटल एम0ओ0यू0 साइन करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। • इससे पूर्व समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारियों द्वारा जनपद स्तर पर स्थित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय/कालेज के साथ संपर्क करते हुये एम0ओ0यू0 साइन करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। • हैशटैग – #PartnersForEmpowerment #MissionShakti प्रयोग करें।	राज्य / जनपद स्तर
17 अक्टूबर – 03 नवम्बर, 2025	जागरूकता चौपालः • ग्राम स्तर पर घरेलू हिंसा/दहेज उन्मूलन विषय पर अभिमुखीकरण का आयोजन किया जायेगा। • हैशटैग – #EndingDomesticViolence #MissionShakti प्रयोग करें।	ग्राम स्तर
04–08 नवम्बर, 2025	अनंता (प्रेरक महिलाओं तथा बालिकाओं की पहचान व सम्मान): • समाज में बदलाव हेतु प्रयासरत महिलाओं की प्रेरक कहानियों को जनपद स्तर पर विभिन्न माध्यमों जैसे–	जनपद स्तर

	टी0वी0, रेडियो, एफ0एम0, कम्यूनिटी–रेडियो, टॉक शो, गोष्ठियों, अखबार आदि के माध्यम से जन–जन तक पहुँचाया जाय। • हैशटैग – #Ananta #MissionShakti प्रयोग करें।	
11–14 नवम्बर, 2025	हक की बात जिलाधिकारी के साथ (मेगा इवेन्ट): • जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के साथ लैंगिक हिंसा/असमानता, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न व दहेज हिंसा आदि की पीड़ित महिलाओं के संरक्षण व सहायता हेतु न्यूनतम 2 घण्टे के पारस्परिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। • इस हेतु भौतिक रूप में/वेबिनार/डेडिकेटेड फ़ोन लाइन/वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग/ऑनलाइन बैठकों/चौपालों आदि माध्यमों का प्रयोग किया जायेगा। उक्त हेतु जिला प्रोबेशन अधिकारी अपने जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से तैयार करेंगे। • हैशटैग – #HaqKiBatJiladhikariKeSath का प्रयोग करें।	जनपद स्तर
15–20 नवम्बर, 2025	ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति बैठक: • प्रत्येक ग्राम सभा में मिशन वात्सल्य के अंतर्गत गठित ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन किया जायेगा तथा बच्चों के मुद्दों पर चर्चा की जायेगी। • बैठकों के दौरान 02–16 दिसम्बर, 2025 के मध्य आयोजित किये जाने वाले स्वावलंबन कैम्प के दिनांक एवं स्थान की जानकारी का प्रचार–प्रसार किया जायेगा। • हैशटैग – #VLCPC #MissionShakti का प्रयोग करें।	ग्राम स्तर
	आपरेशन मुक्ति (21 से 30 नवम्बर, 2024)	
21–30 नवम्बर, 2025	ऑपरेशन मुक्ति: • बाल विवाह तथा बाल श्रम के विरूद्ध 10 दिवसीय जागरूकता एवं रेस्क्यू हेतु वृहद अभियान का आयोजन किया जायेगा। • अभियान के दौरान अन्य विभागों/प्राधिकारियों यथा जिलाधिकारी, पुलिस, स्वास्थ्य, श्रम, शिक्षा चिकित्सा, पंचायती राज तथा बाल सेवा एवं पुष्टाहार आदि विभागों के साथ–साथ एस0जे0पी0यू0, ए0एच0टी0यू0, बाल कल्याण	ग्राम/ब्लॉक/वार्ड स्तर

	समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा स्वंयसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय करेंगे। • बाल विवाह या बाल श्रम के किसी प्रकरण में बच्चे/बच्चों को रेस्क्यू करने हेतु उक्त विभागों की टीम द्वारा विभागवार कार्य विभाजन कर पूरा ऑपरेशन संचालित किया जायेगा। • समस्त हितगामियों पर पूर्व निर्धारित प्रोटोकाल व बच्चों की पहचान गोपनीय रखने का दायित्व होगा। रेस्क्यू से पूर्व ही सभी संबंधित विभागों को सूचना दी जायेगी तथा बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद उन्हें खाने-पीने, यात्रा, मेडिकल, आश्रय, घर वापसी आदि में किसी प्रकार का विलम्ब न हो या असुविधा न हो इस हेतु सभी विभागों द्वारा तैयारियॉ पूरी रखी जायेंगी। • सभी बच्चे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर उचित कार्यवाही पूर्ण कराई जायेगी। निदेशालय द्वारा रेस्क्यू अभियानों से संबंधित पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। • अभियान में रेस्क्यू किये गये बच्चों को यथा आवश्यक स्पॉन्सरशिप व उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य या मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से जोड़ा जायेगा। • हैशटैग – #OperationMukti #EndChildMarriage #StopChildLabour का प्रयोग करें।	
02–16 दिसम्बर, 2025	स्वावलंबन कैम्प (मेगा इवेन्ट): • तहसील स्तर पर यथासंभव संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर ही स्वावलंबन कैम्प आयोजित करते हुये, केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं यथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड व सामान्य), पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन, स्पॉन्सरशिप योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि में लाभान्वित किये जा सकने वाले परिवारों, महिलाओं तथा बच्चों के आवेदनों की समस्त कार्यवाही इन वन विन्डो-कैम्पस के माध्यम से पूरी की जायेगी। • यथासंभव कैम्पों में समस्त अधिकारी व कार्मिक जिन्हें फार्म भरना है, भरवाना है, सत्यापन हेतु फारवर्ड करना है, सत्यापन करना है तथा स्वीकृत करना है, एक ही स्थान पर कैम्प में शामिल होंगे आवेदन पूर्ण कराने की कार्यवाही सम्पादित करते हुये आवेदनकर्ताओं को योजनाओं का लाभ	ग्राम/ब्लॉक/जनपद स्तर

	दिलायेंगे। • कैम्प से पूर्व समस्त ग्राम सभाओं में ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों व अन्य माध्यमों से कैम्प के द्वारा योजनाओं से जोड़े जाने हेतु कैम्प आयोजन के स्थान तथा दिनांक का व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा। • प्रत्येक ग्राम सभा में समाचार पत्रों, पोस्टर, बैनर, ब्रोशर, पैम्फलेट, होर्डिंग, डुगडुगी बजाना, उद्घोषणाओं आदि माध्यमों का प्रयोग किया जायेगा। • जन–जागरूकता हेतु जनप्रतिनिधियों, क्षेत्र में अपना प्रभाव रखने वाले व्यक्तियों, धार्मिक गुरूओं सहित अन्य स्वंयसेवियों तथा स्वंयसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा। • कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के संबंध में संचालित योजनाओं यथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेन्टर, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला योजना, प्रदेश में स्थापित महिला शरणालय, शक्ति सदन व सखी निवास योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जायेगा। साथ ही महिलाओं व बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करने वाले प्रमुख कानूनों यथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष), अधिनियम, 2013, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (संशोधित 1986) तथा गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के प्रमुख प्रावधानों के बारे में आमजन को जागरूक किया जायेगा। • हैशटैग – #SwawlambanCamp का प्रयोग करें।	
17–22 दिसम्बर, 2025	कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 पर अभिमुखीकरण: • समस्त जनपदों में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अंतर्गत गठित स्थानीय व आंतरिक परिवाद समितियों का प्रशिक्षण व अभिमुखीकरण का आयोजन किया जायेगा। • हैशटैग – #POSH प्रयोग करें।	ग्राम / ब्लॉक / जनपद स्तर
23 दिसम्बर,	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर: • समस्त महिला / बाल देखरेख संस्थाओं में चिकित्सा स्वास्थ्य	महिला / बाल

2025	एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा जॉच शिविरों का आयोजन किया जायेगा व बच्चों तथा महिलाओं की आयु व आवश्यकतानुसार जांचे की जायेंगी। • साथ ही आवश्यक टीकाकरण भी किया जायेगा। • समस्त महिलाओं एवं बच्चों की मेडिकल प्रोफाइल तैयार/अपडेट की जायेगी। • हैशटैग – #SafetyFirst प्रयोग करें।	देखरेख संस्थाओं स्तर
24 दिसम्बर, 2025	टॉक शो विथ ऑयडलस: • जनपद स्तर अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने वाली महिलाओं के साथ न्यूनमत 2 घण्टे के टॉक शो का आयोजन। • जिनमें राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 से ऊपर व विश्वविद्यालय स्तर तक की बालिकाओं का उनके साथ संवाद आयोजित किया जायेगा। • हैशटैग – #IGCD2025 #GenderEquality प्रयोग करें।	जनपद स्तर

उक्त कार्ययोजना के सुगम संचालन हेतु अतिरिक्त दिशा–निर्देश:

- मिशन के दौरान महिलाओं तथा बच्चों को आकस्मिक सहायता प्रदान करने हेतु संचालित 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1090 वूमन पॉवरलाइन, 112 पुलिस सहायता व महिलाओं तथा बालिकाओं को एक ही छत के नीचे रेस्क्यू, आश्रय, विधिक/पुलिस परामर्श तथा चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित "वन स्टॉप क्राइसिस सेन्टर" तथा महिलाओं व बच्चों से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में जन – सामान्य के मध्य जागरूकता की जायेगी तथा राज्य स्तर व समस्त विभागों द्वारा विकसित किये जाने वाले समस्त प्रचार–प्रसार सामग्री/माध्यम में इनका उल्लेख अनिवार्य होगा।
- पूर्व की भाँति जनपदों द्वारा अन्य नवोन्मेष/उत्तम प्रचलनों को भी उक्त गतिविधियों में शामिल किया जा सकता है। यद्यपि साझा की गई सभी गतिविधियाँ निर्धारित अवधि के अनुरूप आयोजित की जायेंगी।
- समस्त जनपद यह ध्यान रखेंगे कि मिशन के पहले चार चरणों में जिन क्षेत्रों तक हम नहीं पहुँच सके थे, फेज़– 5 की शुरूआत उन ग्राम सभाओं/क्षेत्रों से करें, जिससे अधिक से अधिक व्यक्तियों/परिवारों को लाभान्वित किया जा सके।
- जनपद व ब्लॉक स्तर पर जिला प्रोबेशन अधिकारी के नेतृत्व में हब फॉर वूमेन इम्पावरमेन्ट, जिला बाल संरक्षण ईकाई, चाइल्ड हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेन्टर, सी0डी0पी0ओ0, सुपरवाइजर व स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से गतिविधियों का

संचालन किया जायेगा तथा ग्राम स्तर पर आँगनवाड़ी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं का सहयोग लिया जायेगा।

- विभिन्न गतिविधियाँ जिला प्रोबेशन अधिकारियों द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत उपलब्ध मदों से जिलाधिकारी के अनुमोदन प्राप्त करते हुये आयोजित की जायेंगी।
- जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्मिकों/लाभार्थियों के गतिविधि स्थल तक आने–जाने हेतु बजट/वाहन की संस्तुति विभागीय नियमों के अनुसार की जायेगी।

"मिशन शक्ति" का प्रचार–प्रसारः

- राज्य स्तर से नियमित अन्तराल पर संबंधित विषय पर ऑडियो, वीडियो, मूवी, स्टोरी, पैम्फलेट, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग तैयार कर डिजिटल रूप में प्रेषित किये जायेंगे।
- जनपदों द्वारा सूचना विभाग के डी0ए0वी0पी0 रेट पर ऑडियो, वीडियो, मूवी, स्टोरी, पैम्फलेट, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग आदि तैयार कर प्रयोग किये जायेंगे।
- सभी जनपद अपने आधिकारिक व्हाट्सऐप, एक्स (ट्विटर), फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदि सोशल मीडिया हैण्डल पर "मिशन शक्ति" का प्रचार–प्रसार करेंगे।
- जनपद स्तर पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, प्रतिदिन हुई गतिविधियों की प्रेस विज्ञप्ति स्थानीय तथा प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवायेंगे। साथ ही टी0वी0, रेडियो, सोशल मीडिया तथा कम्यूनिटी रेडियो, केबल, सिनेमाहॉल आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जायेगा।
- जन–प्रतिनिधियों, अधिकारियों, जन–सामान्य के मध्य प्रभाव रखने वाले व्यक्ति विशेष, धार्मिक गुरुओं आदि के सम्बोधन स्थानीय चैनलों, रेडियो कार्यक्रमों, केबल, सिनेमाहॉल तथा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रसारित करवायेंगे।
- सोशल मीडिया पर की गई समस्त संबंधित पोस्ट माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय उ0प्र0, माननीय केन्द्रीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास, माननीय मंत्री, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार, माननीय राज्यमंत्री, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार उ0प्र0, मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन, राष्ट्रीय/राज्य बाल/महिला संरक्षण आयोग, महिला एवं बाल विकास विभाग उ0प्र0, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों व यूनिसेफ इंडिया को अनिवार्य रूप से टैग की जायेंगी।
- 'मिशन शक्ति' हेतु हैशटैग #MissionShakti #EndViolenceAgainstWoman&Children #ForEveryChild #ForEveryWoman का प्रयोग किया जायेगा।
- विभागों द्वारा प्रतिदिन की गतिविधियों/कार्यक्रमों एवं सत्रों की दो हाई क्वालिटी फोटो (प्रतिभागियों, रिसोर्स पर्सन्स एवं आयोजकों व आयोजन स्थल पर केन्द्रित) नोडल अधिकारी कार्यालय को ई0मेल0 mshakti2020@gmail.com पर प्रेषित की जायेंगी। कार्यक्रमों के दौरान, प्रतिक्रिया/फीडबैक के रूप में महिलाओं, बच्चों तथा

विशिष्ट अधिकारियों की बाइट्स की अधिकतम 45 सेकेन्ड्स की वीडियो क्लिप भी अपेक्षित होगी।

- उक्त गतिविधियों को यदि कई स्थलों पर किया जायेगा तो यह ध्यान रखा जायेगा कि एक कार्यस्थल पर कुल 02 से अधिक अधिकारी/कार्मिक न हो, (मास मीडिया कार्यक्रमों को छोड़कर)। "मिशन शक्ति" के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को जागरूक करने का लक्ष्य है। जिनमें महिलायें, बच्चे व पुरूष सभी शामिल होंगे।

रिपोर्टिंग तथा अभिलेखीकरण:

- मिशन के दौरान यदि महिलाओं या बच्चों (बालक व बालिका दोनों) द्वारा अपने साथ/किसी और के साथ हुई हिंसा की शिकायत की जाती है तो तत्काल जिलाधिकारी व पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सूचना दी जायेगी तथा उनके अविलम्ब शिकायत पर अविलम्ब संवेदनशीलता व गंभीरता के साथ आवश्यक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जायेगी।
- त्वरित रिपोर्टिंग हेतु मिशन शक्ति के प्रथम फेज में बनाये गये व्हाट्सएप ग्रुप का प्रयोग किया जायेगा।
- जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रतिदिन की रिपोर्ट जनपद स्तर पर संकलन कर पूर्व विकसित "शक्ति वॉर रूम" के माध्यम से महिला कल्याण निदेशालय को पूर्व से निर्धारित रिपोर्टिंग प्रारूप/स्प्रेडशीट (पूर्व से प्रेषित) पर प्रतिदिन सायं 8 बजे तक अपडेट की जायेगी।
- निदेशालय महिला कल्याण स्तर पर समस्त जनपदों की सूचनाओं का संकलन कर शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

अनुश्रवण तथा समीक्षा:

- मण्डल स्तर पर कार्यक्रमों की प्रगति का अनुश्रवण, प्रत्येक सप्ताह उप निदेशक, महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा।
- मिशन शक्ति फेज 5.0 हेतु मुख्यालय स्तर पर श्रीमती आकांक्षा अग्रवाल, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण, उ0प्र0/नोडल अधिकारी (मो0–9839209330) तथा श्री नीरज [illegible], राज्य सलाहकार, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 (मो0–9415561585) सह–नोडल अधिकारी होंगे।
- मुख्यालय स्तर पर समस्त संवाद directormahilakalyan@gmail.com तथा mshakti2020@gmail.com पर किये जा सकेंगें।
- समस्त कार्यक्रमों का संचालन उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।